

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प.17(6)नविवि/नियम/2021

जयपुर, दिनांक: यथा हस्ताक्षरित

परिपत्र

विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(619)/नविवि/3/2009 दिनांक 22.04.2011 के अनुसार, मास्टर प्लान/मास्टर डवलपमेंट प्लान के पैरीफेरी बैल्ट/ग्रामीण क्षेत्र में सोलर एनर्जी एवं विन्ड एनर्जी परियोजना स्थापित करने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

ऊर्जा विभाग द्वारा जारी "Rajasthan Integrated Clean Energy Policy-2024" में नवीनीकरण ऊर्जा (प्राकृतिक स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा व जल विद्युत से प्राप्त ऊर्जा) के विकास हेतु भूमि उपयोग परिवर्तन (Land Use Conversion) की आवश्यकता नहीं होने का उल्लेख किया गया है। उक्त नीति-2024 के बिन्दु सं. 10.2(iv) में दिया गया प्रावधान निम्नानुसार है:—

- (i)** *Land conversion will not be required in accordance with the provisions of Rajasthan Tenancy Act 1955 and Rajasthan Land Revenue Act 1956 and the Rules made thereunder for the development of RE Park on Private Agriculture Land.*

अतः विभाग द्वारा जारी उक्त परिपत्र एवं ऊर्जा विभाग की ओर से जारी "राजस्थान इन्टीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी-2024" में दिये गये उक्त प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए, सोलर/सौर ऊर्जा परियोजनाएं (सोलर फार्म/सोलर प्लांट/सोलर पॉवर प्लांट, विन्ड फार्म/विन्ड पावर प्लांट) स्थापित करने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

(रवि विजय)
शासन उप सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, समस्त विकास प्राधिकरण।
7. शासन उप सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
10. प्रोग्रामर, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम